19/2/17

राज्य द्वारा एडीपीओ। अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री आर०पी० गुर्जर। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। फरियादी रामलखन उप0।

फरियादी ने व्यक्त किया कि प्रकरण में आरोपी से राजीनामा की संमावना हैं।

उभय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुये प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उभय पक्षों के मध्य विवाद का पूर्ण रूप से निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः न्याय दृष्टांत Afcons Infrastructure Limited Vs Cheriyan Varkey Construction Company private Limited (2010)8 SSC 24 में दिए गए निर्देश के अनुसार मध्यस्थता के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।

प्रशिक्षित मध्यस्थ सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी, जेएमएफसी गोहद का चुनाव किया

अतः मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उभय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं के हस्ता तर कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को भेजा जाये। मध्यस्थ को निर्देशित किया जाता है कि वे मध्यस्थिता का परिणाम सफल/असफल जो मी हो आगामी नियत दिनांक तक सूचित करें।

150) 6. 51 E

व्याधिक मिलिस्टेट प्रथम विशिष्ट

THE PART PRIVATE THE

19

जमयपक्ष मध्यस्थता हेतु मय अधिवक्तागण के प्रशिक्षित मध्यस्थ के समक्ष आज दिनांक 18.05.17 को दिन में 2:30 बजे स्वतः उप0 रहें।

प्रकरण आगामी दिनांक 25.05.17 को मीडियेशन कार्यवाही के

Judicial Magistrate Eirst Class
Gohad distt. Bhind (M.P.)

पुनेश्चः

जावं।

मध्यस्था न्यायालय से प्रकरण में मध्यस्थता कार्यवाही सफल होने की सूमना प्राप्त।

उभयपक्ष पूर्ववत।

फरियादी की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 दे प्र0स0 एवं राजीनामा हेतु अनुमति बाबत् मय राजीनामा अंतर्गत धारा 320—2 फरियादी के हस्ताक्षर युक्त प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री दिनेश गुर्जर एवं अभियुक्त की पहचान अधिवक्ता श्री आर0पी गुर्जर द्वारा की गई।

उमयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियुक्तगण पर भा०द०वि० की धारा 504 325/34 के अधीन अरोप है। जो कि शमनीय होना उपबंधित हैं। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमित आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 504 325/34 भा०द०वि० के अपराध अरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमित प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा।

अमियुक्तगण के जमानत मुचलके भारहीन किए जाते हैं। प्रकरण में जब्त संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि बाद नष्ट की

प्रकरण में आगामी दिनांक निरस्त की जाती है।

करण का परिणाम पंजी में दर्जकर नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा

Judicial Magistra First Glass

2117 col 2011

STETTINE.

田田

300